राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

अपीडी/टी.ए./1392/2004/सीकर

सुखदेवा पुत्र लालाराम, जाति जाट, निवासी ग्राम तुरकासिया, तहसील लक्ष्मनगढ, जिला सीकर।

.....अपीलार्थी

बनाम

1– चुन्नीलाल उर्फ चून्ना पुत्र गोविन्दा – हजफ
2– नाथू पुत्र गोविन्दा
3– केसरा पुत्र गोविन्दा
4– पतासी पुत्री गोविन्दा
5– सिणगारी पत्नी नाथू
6– रुपी पत्नी केसरा
7– बिरजाराम पुत्र केसरा–फौत
7.1 महेश पुत्र बिरजाराम 7.2 विनोद पुत्र बिरजाराम
जाति जाट, निवासी ग्राम तुरकासिया, तह0 लक्ष्मनगढ, सीकर
8– श्रीमती सन्तोष पत्नी बिरजाराम
9– सुगना पुत्री चुन्नीलाल
10– गजानन्द दत्तक पुत्र चुन्नीलाल
जाति जाट, निवासी ग्राम तुरकासिया, तह0 लक्ष्मनगढ, सीकर
11– मुकन्दी पुत्री लालाराम पत्नी नौरंगलाल, जाति जाट, निवासी ग्राम तिडों की छोटी, तह0 लक्ष्मनगढ, सीकर
12– मदन पुत्री लालाराम पत्नी हरदेवाराम, जाति जाट, निवासी ग्राम सुठोट, तह0 लक्ष्मनगढ, सीकर
13– सिणगारी पुत्री लालाराम पत्नी लच्छाराम, जाति जाट, निवासी ग्राम सांवलोदा पुरोहितान, तह0 व जिला सीकर

.....रेस्पोडेन्ट

खण्ड पीठ
श्री शिखर अग्रवाल, सदस्य
श्री मनोज कुमार नाग, सदस्य

उपस्थित–
श्री योगेन्द्र सिंह, अभिभाषक अपीलार्थी
श्री दुनीचन्द व श्री मदनलाल गुर्जर, अभिभाषक रैस्पो0

निर्णय

दिनांक : 07.02.2020

हस्तगत द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम, 1955) की धारा 225 के अन्तर्गत भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर द्वारा अपील संख्या 16/2003 शीर्षक 'सुखदेवा बनाम चुन्नीलाल' में पारित निर्णय दिनांक 15–03–2004 के विरूद्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी/अपी0 ने एक वाद अधिनियम, 1955 की धारा 88, 91, 188, 92–ए 53 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फतेहपुर शेखावाटी के समक्ष प्रतिवादीगण/रैस्पो0 के विरुद्ध इस आशय का पेश किया कि आराजी स्थित ग्राम तुरकासिया खसरा नम्बर 57 रकबा 9 बीघा 2 बिस्वा वादीगण के कब्जे काश्त खातेदारी की है। प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के दादा का नाम

खींवाराम था और और प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के पिता गोविन्दराम उक्त खींवाराम का जाइन्दा पुत्र था लेकिन स्व0 गोविन्दा ने भैरुराम का फर्जी पुत्र बन कर उक्त भूमि में से एक बीघा का खाता बिन कब्जा काश्त के ही अपने नाम तथा गोविन्दराम की मृत्यु के बाद प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के नाम गलत प्रकार से अंकित करा लिया। उक्त भूमि से वादीगण को बेदखल करने की धमकी दी है। अतः दावा वादी डिक्री कर प्रश्नगत आराजी पर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाए और प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाये। प्रतिवादीगण की ओर से जबाबदावा मय प्रतिवाद प्रस्तुत किया गया और कथन किया कि वादीगण व प्रतिवादीगण एक ही दादा की संतान होने से प्रतिवादी विवादित भूमि में 1/2 हिस्से के खातेदार काश्तकार हैं। अतः प्रतिवाद डिक्री कर खसरा नम्बर 57 में से 1 बीघा का राजस्व रिकार्ड में पृथक से खसरा नम्बर डाला जा कर वादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाये। परीक्षण न्यायालय ने निर्णय दिनांक 30-12-2002 से वादी का वाद खारिज किया और प्रतिवादी का प्रतिवाद डिक्री किया गया और तहसीलदार, लक्ष्मणगढ से बॅटवारा प्रस्ताव आमंत्रित किए गए। उक्त निर्णय के विरुद्ध वादी पक्ष की ओर से अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई और भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15-03-2004 से अपील को खारिज किया गया। उक्त निर्णय के विरुद्ध मूल वाद के वादी द्वारा हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।

3- उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4- अपीलार्थी-वादी पक्ष के योग्य अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय के समक्ष जो वाद प्रस्तुत किया गया था उसे परीक्षण न्यायालय के द्वारा अविधिक रुप से परीक्षण उपरान्त खारिज करते हुये प्रतिवादी के प्रतिवाद को डिक्री कर दिया था। योग्य अधिवक्ता का बहस में मुख्य रुप से यही तर्क रहा है कि प्रश्नगत आराजी वादीगण के कब्जे काश्त खातेदारी की है। प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के दादा का नाम खींवाराम था और और प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के पिता गोविन्दराम उक्त खींवाराम का जाइन्दा पुत्र था लेकिन स्व0 गोविन्दा ने भैरुराम का फर्जी पुत्र बन कर उक्त भूमि में से एक बीघा का खाता बिना कब्जा काश्त के ही अपने नाम तथा गोविन्दराम की मृत्यु के बाद प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के नाम गलत प्रकार से अंकित करा लिया। जो राजस्व रिकार्ड प्रस्तुत किया गया उसमें सम्वत् 2045-48 के पूर्व अपीलार्थी के पिता लालाराम आराजी के खातेदार काश्तकार अंकित है। लालाराम के साथ गोाविन्दराम पुत्र भैरु का नाम 1 बीघा तक किस प्रकार सम्मलित किया गया है। नामांतरकरण संख्या 7 दिनांक 14.12.2060 विधि विरुद्ध स्वीकृत किया गया है और बिना सक्षम आदेश के है। उपखण्ड अधिकारी ने सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 18 नियम 18 के विपरीत गलत प्रकार से मौका रिपोर्ट को पढा है। प्रतिवादी द्वारा प्रातिवाद में प्रतिकूल कब्जे का उज्र नहीं लिया है और ना ही प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी प्रदान की जा सकती है। अन्त में योग्य अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों को निरस्त किया जाये।

5- रैस्पो0/प्रतिवादी पक्ष के योग्य अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ दोनों न्यायालयों के समवर्ती निर्णयों में द्वितीय अपील के स्तर पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप उचित नही है। योग्य अधिवक्ता की मुख्य आपत्ति इस आशय की रही है कि दावा खारिज करने और प्रतिवाद को डिक्री करने के आदेशों के खिलाफ दो अपीलें प्रस्तुत करनी चाहिए,

जब कि वादी द्वारा एक अी अपील प्रस्तुत की गई है। योग्य अधिवक्ता इस बिन्दु पर माननीय मण्डल की खण्डपीठ द्वारा प्रकरण संख्या 1661/2003 शीर्षक श्रीराम बनाम मुरली में पारित निर्णय दिनांक 15–4–2019 को उद्धरित किया।

6– उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ दोनों न्यायालयों के निर्णयों का अवलोकन, अध्ययन किया गया।

7– हस्तगत प्रकरण में यह निर्विवाद है कि वादी/अपी0 ने अधिनियम, 1955 की धारा 88, 91, 188, 92–ए 53 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फतेहपुर शेखावाटी के समक्ष प्रतिवादीगण/रैस्पो0 के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया था जिसमें प्रतिवादीगण/रैस्पो0 की ओर से जबाबदावा मय प्रतिवाद प्रस्तुत किया गया था। परीक्षण न्यायालय ने निर्णय दिनांक 30–12–2002 से वादी का वाद खारिज किया और प्रतिवादी का प्रतिवाद स्वीकार किया जा कर ग्राम तुरकासिया के खसरा नम्बर 57 से वादग्रस्त भूमि 1 बीघा का अलग खाता व लगान कायम किये जाने के आदेश दिए गए और वादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया गया कि वे प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करें। उक्त दोनों निर्णयों के विरुद्ध वादी/अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय में एक ही अपील प्रस्तुत की गई थी जिसे आक्षेपित आदेश दिनांक 15–03–2004 के द्वारा खारिज किया गया है।

8– सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 8 नियम 6 के प्रावधानों के अनुसार काउण्टर क्लेम भी एक वाद का ही रुप होता है और उस पर वे सभी प्रक्रियात्मक प्रावधान लागू होते हैं, जो कि एक वाद में लागू होते हैं। ए0आई0आर0 1993 एस0सी0 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्न प्रकार से मत प्रतिपादित किया हैः–

> "Where no appeal is filed, as in this case from the decree in connected suit it has the same effect of non filing of appeal against a judgment or decree.....Thus the finality of finding recorded in the connected suit, due to non- filing of appeal precluded the Court from proceeding with appeal in other suit"

इसी प्रकार से माननीय उच्चतम न्यायालय ने ए0आई0आर0 1976 एस0सी0 पेज 1645 में मत प्रतिपादित किया है कि दो वादों के कंसोलीडेट हो जाने के बाद यदि एक ही निर्णय के द्वारा दोनों वादों का निस्तारण किया जाता है तो ऐसे मामले में भी धारा 11 सी0पी0सी0 के प्रावधान लागू होंगे। आर0एस0ए0 नम्बर 14/2015 निर्णय दिनांक 28–1–2015 में माननीय केरल उच्च न्यायाालय द्वारा मत प्रतिपादित किया है कि यदि किसी वाद में प्रतिवाद प्रस्तुत होता है तथा विचारण न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध एक ही अपील प्रस्तुत होती है तो ऐसे मामले में धारा 11, सी0पी0सी0 के प्रावधान लागू होंगे। इस प्रकार उपरोक्त प्रकरणों में प्रतिपादित सिद्धान्त मौजूदा प्रकरण में पूर्णतया लागू होते हैं। इस मामले में भी वादी द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष जो वाद प्रस्तुत किया था उसे खारिज करने और प्रतिवादी के प्रतिवाद को डिक्री करने के निर्णय के विरुद्ध एक ही अपील पेश की है जो पूर्व न्याय के सिद्धान्त से बाधित है। दावा को खारिज करने के आदेश एवं प्रतिवाद को डिक्री करने के आदेश के विरुद्ध वादी/अपीलार्थी को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दो पृथक–पृथक अपीलें पेश करनी चाहिए थीं जब कि उसके द्वारा केवल एक ही अपील पेश की गई है, जो कि उचित नहीं है।

प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय के द्वारा, अपील को खारिज करते हुये विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को यथावत रखा है लेकिन इस तथ्य पर गौर नहीं किया गया है कि यदि वाद खारिज करने और काउण्टर क्लेम को स्वीकार करने का निर्णय है तो इस प्रकार की स्थिति में दो अपीलें प्रस्तुत करनी चाहिए थीं।

8– फलतः उपरोक्त विवेचन व विधिक प्रावधानों व प्रक्रिया के परिप्रेक्ष्य में हस्तगत अपील अपीलार्थी **खारिज** की जाती है। भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर द्वारा अपील संख्या 16/2003 शीर्षक 'सुखदेवा बनाम चुन्नीलाल' में पारित निर्णय दिनांक 15–03–2004 को निरस्त किया जाता है एवं विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय यथावत रहेगा।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार नाग)
सदस्य

(शिखर अग्रवाल)
सदस्य